हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

संख्या– एफ एफ ई–बी–ए (3) 4/2015, तारीख, शिमला–2, 03–09–2015

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 32 के खण्ड (ठ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः एफ0 एफ0 ई–बी–ई (3)–43/2006–खण्ड–II, तारीख 26.12.2013 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 28 दिसम्बर, 2013 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश वन (अधिकार धारकों को इमारती लकड़ी का वितरण) नियम, 2013 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं। प्रारूप नियमों को जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है;

इन नियमों की बाबत किसी हितबद्ध व्यक्ति के यदि कोई आक्षेप या सुझाव है/हैं तो वह उसे/उन्हें इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर प्रधान मुख्य अरण्यपाल (होफ), हिमाचल प्रदेश को भेज सकेगा;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप (पों) या सुझाव (वों),यदि कोई हैं, को प्रधान मुख्य अरण्यपाल (होफ), हिमाचल प्रदेश अपनी सिफारिश/रिपोर्ट सहित सरकार को अग्रेषित करेगा जिस पर उन्हें अंतिम रूप देने से पूर्व सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात् :–

संक्षिप्त नाम,

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश वन (अधिकार धारकों को ईमारती लकड़ी का वितरण) संशोधन नियम, 2015 है।

नियम–2 का संशोधन

2. हिमाचल प्रदेश वन (अधिकार धारकों को ईमारती लकड़ी का वितरण) नियम, 2013 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(ङ) "ईमारती लकड़ी का वितरण अधिकार" से अधिकार धारक के जिसके पास केवल विरासत द्वारा अर्जित कृषि योग्य भूमि है, सम्बन्धित क्षेत्र की बन्दोबस्त रिपोर्ट में यथा अभिलिखित अधिकार धारक के वास्तविक घरेलू उपयोग हेतु आवासीय मकान एवं गौशाला आदि के निर्माण, मरम्मत और परिवर्धन या परिवर्तन हेतु इमारती लकड़ी मंजूर (प्रदान) करने के अधिकार अभिप्रेत हैं;

परन्तु कोई भी व्यक्ति, जिसने राजस्व सम्पदा में बाहर से बसने के लिए आवास के सन्निर्माण, कृषि या किसी अन्य सहबद्ध प्रयोजन हेतु भूमि कय की है, इमारती लकड़ी के अधिकार का हकदार नहीं होगा;।"

नियम 3 का संशोधन

3. उक्त नियमों के नियम 3 के खण्ड (ii) और (vi) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित नए खण्ड (ii) और (vi) रखे जाएंगे अर्थात्:–

"(ii) यदि अधिकार धारक के पास भू–धृति है जो उसे एक से अधिक स्थान पर इमारती लकड़ी को प्रदान किए जाने के लिए अर्हित करती है, तो उसे केवल एक स्थान पर, जहां पर वास्तव में वह रहता है, इमारती लकड़ी मंजूर की जा सकेगी।

"(iv) यदि उस वन जहां सम्बद्ध अधिकार धारकों के पास इमारती लकड़ी वितरण अधिकार है, में इस प्रयोजन के लिए नाश रक्षित सालवेज वृक्ष उपलब्ध नहीं है तो अधिकार धारकों को इमारती लकड़ी मंजूर नहीं की जाएगी;"।

नियम 4 का संशोधन,

4. उक्त नियमों में नियम 4 के उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात:–

"(2). वृक्ष, नाश रक्षित (गिरे हुए, सूखे खड़े) वृक्षों में से दिए जाएंगे। अधिकार धारकों को कोई हरे खड़े वृक्ष मंजूर नहीं किए जाएंगे।"।

नियम 5 का संशोधन

5. उक्त नियमों के नियम 5 के खण्ड (i) और (ii) में " पंद्रह वर्षों" और "पांच वर्षो" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "बीस वर्षो" और "दस वर्षो" शब्द रखे जाएंगे।

नियम 7 का प्रतिस्थापन

6. उक्त नियमों के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:–.

"7. वृक्षो की मंजूरी के लिए प्रकिया.– अधिकार धारक विरासत और अधिकार द्वारा अर्जित अपनी भू–धृति के सम्बन्ध में सम्बद्ध पटवारी से आवश्यक टिप्पण (रिमार्कस) प्राप्त करने के पश्चात् सम्बद्ध ग्राम पंचायत को उपाबन्ध–I में वृक्षों की मंजूरी के लिए आवेदन कर सकेगा। सम्बद्ध ग्राम पंचायत, अधिकार धारक की आवश्यकताओं की असलियत का अभिनिश्चयन करने के पश्चात्, सिफारिश करने के लिए आवेदन की संवीक्षा करेगी। सिफारिश ग्राम पंचायत के संकल्प के रूप में की जाएगी। तत्पश्चात् अधिकार धारक क्षेत्र के वन रक्षक को अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा जो इसे इस प्रयोजन के लिए अनुरक्षित रजिस्टर में दर्ज करेगा और अधिकार धारक के आवेदन की प्राप्ति की अभिस्वीकृति देगा तथा मांग की असलियत का अभिनिश्चयन करने के पश्चात् अपनी सिफारिश सहित आवेदन को वन खण्ड अधिकारी को भेजेगा, जो अपनी सिफारिशों सहित आवेदन को वन परिक्षेत्र अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। वन परिक्षेत्र अधिकारी उसे अपनी सिफारिश सहित वन मण्डल अधिकारी को अग्रेषित करेगा। वन मण्डल अधिकारी, वन परिक्षेत्र अधिकारी से आवेदन की प्राप्ति के पश्चात् आवश्यकताओं की असलियत और सम्बद्ध वन में नाश रक्षित (सालवेज) उपलब्धता के बारे में अपना समाधान होने के पश्चात् वृक्षों की मंजूर करने की कार्रवाई करेगा और इन नियमों से संलग्न

उपाबन्ध– II के अनुसार सम्बद्ध अधिकार धारक को अपना विनिश्चय सूचित करेगा।

नियम 12 का संशोधन–

7. उक्त नियमों के नियम 12 में " स्थान पर दूसरे" शब्दों के पश्चात् " नाश रक्षित (सालवेज)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

नियम 14 का प्रतिस्थापन..

8. उक्त नियमों के नियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–
"14" शास्तियां.– यदि कोई अधिकार धारक प्राप्त की गई इमारती लकड़ी की उपयोगिता में इन नियमों के, नियम 3 (ii) के सिवाय, किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है तो उसके अधिकार अगले बीस वर्षों के लिए निलम्बित कर दिए जाएंगे। नियम 3 (ii) के उल्लंघन की दशा में ऐसे अधिकार धारक के इमारती लकड़ी वितरण अधिकार स्थायी रूप से निलम्बित कर दिए जाएंगे।

अधिकार धारक उपरोक्त शास्ति के अतिरिक्त बाजार दर पर वृक्ष की लागत का संदाय के लिए भी दायी होगा।"।

उपाबन्ध–I का प्रतिस्थापनः–

15. उक्त नियमों से संलग्न उपाबन्ध–I के स्थान पर निम्नलिखित उपाबन्ध रखा जाएगा, अर्थात्:–

"उपाबन्ध–I

इमारती लकड़ी वितरण की मंजूरी हेतु आवेदन के लिए प्रपत्र
(नियम 7 देखें)
(जो लागू न हो उसे काट दें)

1. आवेदक का नाम————————————
2. व्यवसाय————————————————
3. पिता का नाम——————————————
4. परिवार के सदस्यों की संख्या———————
5. क्या आवेदक परिवार का मुखिया हैं————————
6. गांव——————————————
7. डाकघर————————————————
8. तहसील————————————————
9. जिला—————————————————
10. पंचायत————————————————
11. वर्ष जिसमें इमारती लकड़ी वितरण (टी0डी0) पहले मंजूर किया गया था और मंजूर किए गए वृक्षों का परिमाण/संख्या———————————————
12. प्रयोजन जिसके लिए टी0डी0 अपेक्षित है———————
(चाहे वह नए आवासीय मकान/गौशाला के निर्माण, मरम्मत और परिवर्धन या परिवर्तन के लिए है)।

13. अपेक्षित टी0डी0 के ब्यौरेः–

प्रजातियां	घनमीटर में मात्रा (वाल्यूम)	जंगल का नाम जिसमें अधिकार विद्यमान हैं।

14. मैं एतदद्वारा यह घोषणा करता / करती हूं कि

(i) मकान/गौशाला के निमार्ण, मरम्मत और परिवर्धन या परिवर्तन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वृक्ष मेरी भूमि पर उपलब्ध नहीं हैं;

(ii) मैनें गत दस वर्षों के दौरान अपनी भूमि से दस वर्षीय पातन कार्यक्रम (फैलिंग प्रोग्राम) के अन्तर्गत किसी भी वृक्ष का विक्रय नहीं किया है;

(iii) मेरी भू–धृति केवल एक स्थान पर है /एक से अधिक स्थानों पर है अर्थात् ––––––––स्थान पर और ––––––––––स्थान पर और मैं वास्तव में––––––––स्थान पर रह रहा हूं।
पहले मंजूर की गई टी0डी0 ––––––पर दी जाए।

(iv) मैं मूल अधिकार धारक हूं और परिवार का मुखिया भी हूं;

(v) मैनें हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम,1972 की धारा 118 के अधीन सरकार की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् भूमि क्रय नहीं की है;

(vi) मै समझता हूं कि अधिकार धारकों के अधिकार वन संरक्षण में अधिकार धारकों के सक्रिय सहयोग और सहभागिता के अध्यधीन हैं तथा मैं वन अपराधियों को पकड़ने, आग बुझाने आदि हेतु अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा; और

(vii) मै, टी0डी0 के अधीन अभिप्राप्त इमारती लकड़ी का दुरूपयोग नहीं करूंगा और इस बाबत वन विभाग के नियमों /अनुदेशों का पालन करूंगा।

तारीखः

(आवेदक के हस्ताक्षर)
नाम

संकल्प के रूप में ग्राम पंचायत की सिफारिशें

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ––––––––––सुपुत्र श्री–––––––––गांव–––––––––––मौजा––––––––––––––का स्थायी निवासी है तथा पंचायत अभिलेख के अनुसार परिवार का मुखिया है। आवेदक की वृक्षों की अपेक्षा वास्तविक है और उसे –––––––––घनमीटर इमारती लकड़ी आवासीय घर/गौशाला के निर्माण,मरम्मत और परिवर्धन या परिवर्तन के लिए अपेक्षित है। उसका आवेदन ग्राम पंचायत में संकल्प संख्या –––––––––––तारीख––––––द्वारा अनुशंसित है।

तारीखः

प्रधान ग्राम पंचायत की मुहर
एवं हस्ताक्षर

पटवारी की रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि श्री––––––––––––सुपुत्र श्री––––––––––गांव–––मौजा–––––––––– का स्थायी निवासी है । आवेदक विरासत द्वारा अर्जित कृषि योग्य भूमि खसरा नम्बर–––––––––––––––– रकबा का मालिक है और –––––––––––––रूपए सालाना भू– राजस्व के रूप में अदा करता है और उसके टी0डी0 में वृक्ष प्राप्त करने के अधिकार अभिलिखित हैं। वह परिवार का मुखिया है।

तारीखः

हल्का पटवारी के हस्ताक्षर
और मुहर

वन रक्षक की रिपोर्ट

(i) आवेदक ने गत बीस वर्षों के दौरान नए आवासीय घर/गौशाला के निर्माण के लिए इमारती लकड़ी वितरण के अन्तर्गत वृक्ष /इमारती लकड़ी प्राप्त नहीं किएं हैं/की है। आवेदक ने गत दस वर्षो में आवासीय घर /गौशाला की मरम्मत, परिवर्धन या परिवर्तन के लिए इमारती लकड़ी वितरण के अन्तर्गत वृक्ष /इमारती लकड़ी प्राप्त नहीं किए हैं/ की है।

(ii) आवेदक ने वन सम्पदा को कोई हानि/क्षति नहीं पहुचाई है/ वन भूमि पर अवैध कब्जा नहीं किया है और आवेदक के विरूद्ध वन अपराध के बारे में कोई क्षतिपूर्ति रिपोर्ट/प्रथम इत्तिला रिपोर्ट/न्यायालय मामला लम्बित नहीं है।

(iii) इमारती लकड़ी की अपेक्षा ———————कार्य के लिए है;

(iv) आवेदक वन संरक्षण में पूर्ण सहयोग देता है;

(v) आवेदक को निम्नलिखित वृक्ष मंजूर किए जा सकेंगे

प्रजातियां	श्रेणी	संख्या	वाल्यूम	वन	नाश रक्षित (सालवेज)

तारीखः

वन रक्षक के हस्ताक्षर और मुहर
बीट—————
वन रक्षक का नाम—————

वन खण्ड अधिकारी (वन उप परिक्षेत्र अधिकारी) की रिपोर्ट

(i) प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन की अन्तर्वस्तु तथा बीट गार्ड द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र सही है;

(ii) मैनें आवासीय घर /गौशाला के निर्माण, मरम्मत और परिवर्धन या परिवर्तन के स्थल, जहां पर मजूंर टी0डी0 का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, का निरीक्षण किया है और आवेदक को निम्नलिखित वृक्ष स्थल पर मंजूर किए जाएं:—

प्रजातियां	श्रेणी	संख्या	वाल्यूम	वन	नाश रक्षित (सालवेज)

जो———वन में नाश रक्षित (सालवेज) के रूप में उपलब्ध हैं;

(iii) आवेदक ने दस वर्षीय पातन कार्यक्रम के अन्तर्गत गत दस वर्षो के दौरान अपनी भूमि में से कोई वृक्ष नहीं बेचा है।

तारीखः वन खण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

वन खण्ड ------नाम

वन परिक्षेत्र अधिकारी की रिपोर्ट

आवेदक की आवश्यकता वास्तविक है और उसे निम्नलिखित वृक्ष मंजूर कर दिए जाएंः–

प्रजातियां	श्रेणी	संख्या	वाल्यूम	वन	नाश रक्षित (सालवेज)

जो कि ---------वन में नाश रक्षित (साल्वेज) के रूप में उपलब्ध हैं;

तारीखः

हस्ताक्षर एवं मुहर
वन परिक्षेत्र अधिकारी का नाम

वन मण्डल अधिकारी द्वारा मंजूरी

श्री ------------सुपुत्र श्री-----------गांव---------ग्राम-----------------------
पंचायत----------तहसील---------जिला---------को आवासीय घर /गौशाला के निमार्ण,मरम्मत और परिवर्धन या परिवर्तन के लिए निम्नलिखित वृक्ष मंजूर किए जाते हैंः–

प्रजातियां	श्रेणी	संख्या	वाल्यूम	वन	नाश रक्षित (सालवेज)

तारीखः

हस्ताक्षर और मुहर
वन मण्डल अधिकारी
--------वन मण्डल।"।

उपाबन्ध –II का

प्रतिस्थापन

16. उक्त नियमों से संलग्न उपाबन्ध –II के स्थान पर निम्नलिखित उपाबन्ध रखा जाएगा, अर्थात्:–

"उपाबन्ध–II
(नियम 7 देंखें)

संख्या
वन विभाग
हिमाचल प्रदेश

प्रेषक

वन मण्डल अधिकारी,

–––––––वन मण्डल

प्रेषित

श्री /श्रीमति –––––––

गांव–––––––––

डाकघर –––––तहसील–––––––

जिला–––––––––हिमाचल प्रदेश

तारीख––––––––

विषयः– इमारती लकड़ी वितरण (टी0डी0) में वृक्षों की मंजूरी।

श्रीमान/महोदया,

––––के निर्माण,मरम्मत और परिवर्धन या परिवर्तन हेतु इमारती लकड़ी वितरण (टी0डी0) के लिए आपके आवेदन पत्र तारीख –––––के सन्दर्भ में।

2. आपके आवासीय घर /गौशाला के निर्माण,मरम्मत और परिवर्धन या परिवर्तन के लिए –––––प्रजाति की–––––घनमीटर इमारती लकड़ी मंजूर करने के लिए आपके आवेदन पत्र पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा विचार किया गया और आपके पक्ष में एतदद्वारा निम्नलिखित वृक्ष मंजूर किए जाते हैं:–

प्रजातियां	श्रेणी	संख्या	वाल्यूम	वन	नाश रक्षित

					(सालवेज)

3. आपके इमारती लकड़ी के वितरण (टी0डी0) आवेदन पत्र पर विचार किया गया और इसे निम्नलिखित आधारों पर नामंज़ूर कर दिया गयाः–

(i).————————————————

(ii)————————————————

(iii)————————————————

भवदीय,

तारीखः

वन मण्डल अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर।"।

आदेश द्वारा,
तरूण श्रीधर
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठाकनं संख्या यथोपरि तारीख शिमला–2 03–09–2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1 समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171002।

2. प्रधान मुख्य अरण्यपाल (होफ), शिमला–171001।

3. प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वाइल्ड लाईफ), शिमला–171001।

4. समस्त अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल /मुख्य अरण्यपाल, हिमाचल प्रदेश।

5. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।

6. समस्त अरण्यपाल/वन मण्डल अधिकारी हिमाचल प्रदेश।

7. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171005 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन हेतु।

8. अवर सचिव वित्त, हिमाचल प्रदेश सरकार।

9. उप विधि परामर्शी एवं उप सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार।

10. संरक्षक नस्ति।

(सत पाल धीमान)
उप सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार।
कार्यालय दूरभाष न0 0177–2621874